

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

मिसिल संख्या: सीओ(एवी)/ विविध-टीवी पैनलबद्धता/2020

1 जुलाई, 2025

परामर्शिका

विषय: चैनलों के वर्तमान पैनल की वैधता अवधि के विस्तार के संबंध में।

सीबीसी की दिनांक 28 मार्च 2025 की परामर्शिका के क्रम में, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह अधिसूचित किया जाता है कि चैनलों का वर्तमान पैनल 30 सितंबर 2025 तक या नए पैनल के गठन तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।


(सत्ती किशोर कुमार)
निदेशक (श्रव्य दृश्य)

सेवा में,

वेसिल, एनआईसी: वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु